(65)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 723–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–6–2015 पारित द्वारा न्यायालय राजस्व निरीक्षक तहसील हुजूर, टी.टी.नगर, वृत्त भोपाल, प्रकरण कमांक 15/अ–12/2014–15.

.....

1–नर्मदा प्रसाद पुत्र नन्दकिशोर
2–सोनू पुत्र नन्दकिशोर
3–देवेन्द्र पुत्र नन्दकिशोर
4–गोपाल पुत्र नन्दकिशोर
निवासी ग्राम बरखेडीखुर्द
तहसील हुजूर जिला भोपाल म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

चित्रा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित
द्वारा अध्यक्ष नीलेश शुक्ला
आत्मज श्री के0एन0शुक्ला नि ए–2
आकृति गार्डन, नेहरू नगर रोड,
भोपाल

..... अनावेदक

.....

श्री राकेश गिरी, अभिभाषक– आवेदकगण
श्री योगेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक– अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/4/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक तहसील हुजूर, टी.टी.नगर, वृत्त भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–6–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम खुदागंज स्थित भूमि सर्वे कमांक 75–76, 103/75/2/4 रकबा 6.993 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण क्रमांक 15/अ–12/2014–15 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन

कराया जाकर दिनांक 15–6–2015 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक द्वारा सीमांकन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत बने नियम 2 व 3(ग) के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(2) सीमांकन की तामीली आवेदक सहित पड़ोसी कृषकों को नहीं कराई गई है।

(3) सीमांकन की शिकायत राजस्व निरीक्षक को प्राप्त होने के कारण तहसीलदार को दल गठित कर सीमांकन के आदेश देने का अधिकार नहीं था ।

(4) सीमांकन दल का गठन तहसीलदार द्वारा किया गया था और तीन अलग अलग हल्कों के राजस्व निरीक्षकों द्वारा सीमांकन किया गया था इसलिये सीमांकन आदेश तहसीलदार को पारित करना था ।

(5) आवेदकगण की ओर से राजस्व निरीक्षक के समक्ष इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि आवेदक एवं अनावेदकगण की भूमि के मध्य शासकीय मेढ़ तथा नाला हैं और एक दूसरे की भूमि आपस में लगी नहीं है तब अनावेदक की भूमि पर आवेदक का कब्जा नहीं हो सकता है । इस स्थिति पर बिना विचार किये राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। तर्क के समर्थन में 2014 आरएन 303, 2006 आरएन 218 व 2014 आरएन 69 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) सीमांकन प्रकरण से स्पष्ट है कि सीमांकन की जानकारी आवेदकगण को रही है और उन्होंने मौके पर उपस्थित रहकर आपत्ति भी प्रस्तुत की है । राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् संहिता की धारा 129 का पालन करते हुये सीमांकन किया गया है, जो कि विधिवत् कार्यवाही है ।

(2) वर्तमान में सीमांकन टोटल मशीन से होने लगा है, ऐसी स्थिति में कम्प्यूटर अक्श में पैमाना, फील्डबुक व नक्शा दर्शाया जाता है, अलग से फील्डबुक बनाने की आवश्यकता नहीं है ।

(3) राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् पड़ोसी कृषकों को सूचना देकर दिनांक 6–6–2015 को सीमांकन किया गया है जो कि विधिवत् है ।

(4) आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी आधारहीन तथ्यों पर प्रस्तुत की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) अनावेदक की भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा सिद्ध हो चुका है और उसके द्वारा कब्जा नहीं छोड़ने के उद्देश्य से इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत् सूचना नहीं दी गई है, ऐसी स्थिति में राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन विधिसंगत नहीं ठहराया जा सकता है । राजस्व निरीक्षक के समक्ष अनावेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख है परन्तु उसके हस्ताक्षर नहीं है और सीमांकन आदेश से स्पष्ट नहीं है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का विधिवत् निराकरण किया गया है, ऐसी स्थिति में राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि तहसीलदार सीमांकन दल गठित कर मौके पर उपस्थित होकर अपने समक्ष में सीमांकन करायें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक तहसील हुजूर, टी.टी.नगर, वृत्त भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–6–2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण करने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर